

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१९

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों, से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये बाईस हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ पैसठ लाख चौरासी हजार नौ सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,२३,४७,६५,८४,९०० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ४०,३३,००,५००	६,८०,२००	४०,३९,८०,७००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २,०४,००,०००	०	२,०४,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व १,१८,५०,५८,२०० पूंजी १५,३६,००,०००	१,४८,००० ०	१,१८,५२,०६,२०० १५,३६,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ३४,४६,०००	०	३४,४६,०००
०५.	जेल	राजस्व ३३,००,०००	०	३३,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१,५९,१५,००,०००	५०,००,०००	१,५९,६५,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	२२,००,०००	०	२२,००,०००
१०.	वन	पूंजी	७,१७,३२,००,०००	०	७,१७,३२,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	२४,५१,५३,००,०००	०	२४,५१,५३,००,०००
		पूंजी	५,४०,२०,००,०००	०	५,४०,२०,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	७६,९२,७१,४०,७००	१०,००,०००	७६,९२,८१,४०,७००
१४.	पशुपालन	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
		पूंजी	३,२४,००,०००	०	३,२४,००,०००
१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	३,२८,१०,०००	०	३,२८,१०,०००
१७.	सहकारिता	पूंजी	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१४,००,२००	०	१४,००,२००
		पूंजी	१००	०	१००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	३६,७५,००,०००	०	३६,७५,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	३२,३३,८१,२२,२००	२७,७७,०००	३२,३४,०८,९९,२००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	३,४६,००,०१,६००	७,००,००,०००	३,५३,००,०१,६००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	३२,०७,००,०००	०	३२,०७,००,०००
	पूंजी	१५,९७,००,००,०००	०	१५,९७,००,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	१,५८,७५,०००	०	१,५८,७५,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	पूंजी	३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१,०७,२४,५८,१००	२,१४,००,१००	१,०९,३८,५८,२००
३०. ग्रामीण विकास	पूंजी	१,५०,००,००,१००	०	१,५०,००,००,१००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	५,१६,५२,५००	०	५,१६,५२,५००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	९९,८७,००,०००	०	९९,८७,००,०००
३३. जनजातीय कार्य	पूंजी	१००	०	१००
३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	१,०९,५४,००,०००	०	१,०९,५४,००,०००
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	१,८४,००,०००	२६,७४,०००	२,१०,७४,०००
	पूंजी	२,३०,००,००,०००	०	२,३०,००,००,०००
३६. परिवहन	पूंजी	२५,७५,०८,०००	०	२५,७५,०८,०००
३७. पर्यटन	पूंजी	७००	०	७००
३८. आयुष	राजस्व	६२,३८,९५,३००	०	६२,३८,९५,३००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१,००,००,००,२००	०	१,००,००,००,२००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	३,९२,९३,०१,२००	०	३,९२,९३,०१,२००
		पूंजी	१००	०	१००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	४००	०	४००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१,५५,००,००,०००	०	१,५५,००,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१८,६४,००,०००	०	१८,६४,००,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	११,२४,४८,०००	०	११,२४,४८,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	१,४१,००,००,०००	०	१,४१,००,००,०००
		पूंजी	१,६५,००,००,०००	०	१,६५,००,००,०००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२२,२३,८६,४२,९००	०	२२,२३,८६,४२,९००
		पूंजी	१७,१४,५००	०	१७,१४,५००
५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राजस्व	४००	०	४००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	३०,०८,००,०००	०	३०,०८,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	५,००,००,०००	७०,००,००,०००	७५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
६५.	विमानन	राजस्व	३,५४,००,०००	०	३,५४,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	४५,०९,२८,२००	०	४५,०९,२८,२००
		पूंजी	२,००,००,२००	०	२,००,००,२००
६९.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राजस्व	१००	०	१००
योग :		राजस्व	१,७१,८५,०८,२७,७००	७३,३६,७९,३००	१,७२,५८,४५,०७,०००
		पूंजी	५०,८२,२०,७७,९००	७,००,००,०००	५०,८९,२०,७७,९००
		वृहद-योग :	२,२२,६७,२९,०५,६००	८०,३६,७९,३००	२,२३,४७,६५,८४,९००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ७ जनवरी, २०१९.

तरुण भनोत
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.